भुगतान विज़न 2025

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय

जून 2022

सूची	
विवरण	पृष्ठ संख्या
खंड 1- प्राक्कथन	1
खंड 2- भुगतान विज़न 2019-21 की उपलब्धियां	4
खंड 3- भुगतान विज़न 2025	7
खंड 4 – विशिष्ट पहल	
4.1. अखंडता	13
4.2. समावेशन	16
4.3. नवोन्मेष	20
4.4. संस्थागतकरण (संस्थायन)	22
4.5. अंतर्राष्ट्रीयकरण	23
परिवर्णी शब्द	25

1. प्राक्कथन

1.1 भुगतान प्रणालियां, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ ही वित्तीय समावेशन में सहायता करती हैं। संरक्षित, सुरक्षित, विश्वसनीय, सुलभ, सस्ती और दक्ष भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करना भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यनीतिक उद्देश्यों और लक्ष्यों में से एक रहा है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने विश्व में सर्वाधुनिक भुगतान प्रणालियों में से एक प्रणाली को विकसित किया है, भले ही वे बड़ी कीमत, खुदरा या तेज भुगतान की प्रणाली हों । पिछले दशक में कई भुगतान प्रणालियों का उदय हुआ है, वे सभी संरक्षा और सुरक्षा के विभिन्न उपायों से बढ़े हुए आत्मविश्वास के कारण सर्वसाधारण की सुविधा के लिए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका, भारत में एक विनियामक, प्रचालक और सुविधाकर्ता से भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के संरचित विकास के लिए एक पर्यावरण निर्माणकर्ता के रूप में बदल गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान विज़न दस्तावेज, सन 2001 से इस विकास के लिए कार्यनीतिक निदेशन और कार्यान्वयन योजना प्रदान करते रहे हैं।

1.2 भारत में प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष को अधिक अपनाये जाने के कारण संभव हुए भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के गतिशील और त्वरित विकास ने देश को न केवल डिजिटल भुगतान में वृद्धि के मामले में बल्कि संरक्षित, सुरक्षित, नवोन्मेषी और कुशल भुगतान प्रणालियों के एक गुलदस्ते के रूप में उपलब्धता के मामले में वैश्विक भुगतान क्षेत्र में एक ताकत के रूप में स्थापित किया है। हमारी भुगतान प्रणालियों द्वारा प्रतिदिन 26 करोड़ से अधिक डिजिटल भुगतान लेन-देन प्रसंस्कृत किए जाते हैं, जिनमें से एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) प्रणाली स्वयं दो-तिहाई से अधिक लेन-देन प्रसंस्कृत करती है।

1.3 कोविड-19 प्रेरित महामारी के कारण उद्योग और समाज सामान्य रूप से डिजिटल भुगतान करने/स्वीकार करने/ डिजिटल भुगतान की सुविधा देने की दिशा में एक बड़े व्यवहारगत रूपांतरण के दौर से गुजर रहे हैं, यद्यपि पूर्ण प्रवर्जन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समावेशित करने का लक्ष्य दूर है। बिग टेक और फिन टेक कंपनियां भुगतान लेन-देन की सुविधा देने के लिए ग्राहकों की प्रारंभिक ऑनबोर्डिंग से लेकर भुगतान प्रणालियों की सहभागी बनने तक और उसके बाद कई वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु अपने व्यवसाय के दायरे का सक्रिय रूप से विस्तार कर रही हैं। इसके अलावा, आर्थिक क्षेत्रों / अंचलों में उत्पन्न डेटा, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र से संबंधित डेटा को बड़े पैमाने पर नए व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा और माना जा रहा है और तदनुसार, डेटा संरक्षण और निजता संबंधी नियम विद्यमान/परिकल्पित हैं।

जैसा कि अब तक सामान्य जानकारी में है, भारत ने भुगतान डेटा के स्थानीय भंडारण को अनिवार्य कर दिया है और वह डेटा संरक्षण हेतु अपना स्वयं का कानून बनाने की प्रक्रिया में भी है।

1.4 सभी मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं (स्मार्ट फोन और फीचर फोन दोनों के प्रयोक्ताओं) को डिजिटल रूप से समर्थ करने के साथ-साथ ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कार्ड लेन-देन और प्रयोक्ताओं के स्थायी अनुदेश वाले लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं; इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और कार्य करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण भुगतान मध्यस्थों को औपचारिक विनियमित/ पर्यवेक्षित फ्रेमवर्क में लाने की दिशा में भी प्रयास शुरू किए गए हैं। भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के लिए जारी निदेश इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। भुगतान स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए भी पहल की जा रही है।

1.5 इन गतिविधियों ने डिजिटल भुगतान के दायरे में हितधारकों द्वारा ग्राहकों को जोड़ना (ऑन-बोर्डिंग) और बनाए रखना, प्रयोक्ताओं, जिनमें व्यापारी भी शामिल हैं, को कम या बिना लागत पर भुगतान विकल्प उपलब्ध कराना; सभी हितधारकों की, हर समय और हर जगह से/को, भुगतान सेवाओं की गति, दक्षता और उपलब्धता संबंधी मांग को पूरा करना; ग्राहक हितैषी विवाद समाधान और शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता सुकर करना; धोखाधड़ी के कारण होने वाले नुकसान के जोखिम का शमन करने के हेतु सुरक्षा प्रदान करना, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सरंक्षित उपायों को लागू करना आदि मामलों में नई चुनौतियों को उजागर किया है। भुगतान उद्योग में एक विश्वसनीय वातावरण में सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को कम नहीं आंका जा सकता है।

1.6 वर्तमान विज़न दस्तावेज, भुगतान (पेमेंट्स) विज़न 2019-21 दस्तावेज पर आधारित है और दिसंबर 2025 तक की अवधि हेतु विचार प्रक्रिया की रूपरेखा तय करता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि उभरती हुई परिस्थिति के आधार पर भी कोई पहल की जा सकेगी और आवश्यक नहीं है कि वह भुगतान विज़न दस्तावेज से विवश हो। उदाहरण के लिए, (क) भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना; (ख) कार्ड लेनदेन की सुरक्षा के लिए फ्रेमवर्क जैसे स्विच ऑन/ऑफ सुविधा; (ग) पूर्वदत्त (प्रीपेड) भुगतान लिखतों (पीपीआई) का प्रयोग कर अनधिकृत लेनदेन के मामले में ग्राहक के दायित्व को सीमित करने हेतु दिशा-निर्देश; (घ) डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) को सक्षम करना; (च) भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के सिस्टम ऑडिट (प्रणाली लेखा परीक्षा) के दायरे और व्याप्ति (कवरेज) की समीक्षा; (छ) त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड अवसंरचना को सुव्यवस्थित करना; (ज)

पीएसओ के प्राधिकार प्रमाणपत्र को स्थायी वैधता; (झ) आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण; आदि, पेमेंट्स विज़न 2019-21 दस्तावेज़ में उद्दिष्ट के अतिरिक्त थे।

1.7 भारतीय रिज़र्व बैंक की हर पहल में ग्राहक केंद्रितता, इस दिशा में बैंक के बहुविध प्रयासों के साथ हमेशा सर्वोपरि रही है; और यह ग्राहकों के बढ़ते विश्वास के साथ बढ़ती जा रही है। और प्रत्येक पहल को प्रयोक्ता ऑनबोर्डिंग और लेनदेन की मात्रा में वृद्धि से अभिस्वीकृत किया गया, अपनाया और सराहा गया है।

1.8 भारत आवक (इन-बाउंड) धन-प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) में दुनिया भर के प्रमुख देशों द्वारा प्रदर्शित वर्धित अभिरुचि, भागीदार देशों के साथ धन-प्रेषण की गति और लागत को कम करते हुए व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि को गति दे सकती है। भारत के बहिर्गामी पर्यटकों की विस्फोटक संवृद्धि के साथ, विदेशों में भारत के भुगतान उत्पादों का प्रसार भारतीय यात्रियों को सहज अनुभव कराएगा।

1.9 भुगतान (पेमेंट्स) विज़न 2025 को साकार करने की यात्रा आरंभ करते ही हमें वर्धित पहुंच, ग्राहक केंद्रितता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गहनता की दिशा में अब तक उठाए गए कदमों को और समेकित करना होगा और यह अखंडता, समावेशन, नवोन्मेष, संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के पांच स्तंभों पर आधारित होगा। आशा है कि इन उपायों से हमारी भुगतान प्रणालियां और आगे बढ़ेंगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग हो सकेगा। भुगतान विज़न 2025, सीमापार से भुगतान बढ़ाने के लिए लागत, गति, पहुंच और पारदर्शिता की चार प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हुए जी-20 पर फोकस रख कर भारत के प्रयासों का लाभ उठाता है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भुगतान प्रणालियों के गतिशील स्थान को देखते हुए, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और इन पहलों को स्वीकार करने और आगे बढ़ाने की तत्परता के लिए प्रयास करने होंगे ।

2. भुगतान विज़न 2019-21 की उपलब्धियां

2.1 भुगतान (पेमेंट्स) विज़न 2021 ने प्रत्येक भारतीय को ई-पेमेंट विकल्पों, जो संरक्षित, सुरक्षित, सुविधाजनक, त्वरित और किफायती हों, के एक गुलदस्ते तक पहुंच पाने हेतु समर्थ बनाने की परिकल्पना की गई थी, और प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और आत्मविश्वास के चार लक्ष्यों के साथ 36 विशिष्ट कार्रवाई बिंदु और 12 अपेक्षित परिणाम निर्धारित किए गए थे।

2.2 इन लक्ष्यों को निम्नलिखित कदम उठा कर पूरा किया गया -

(i) विनियामक सैंडबॉक्स का निर्माण, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) खोलना, छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान हेतु ऑफ़लाइन मोड की सुविधा , भुगतान प्रणालियों के लिए 'ऑन टैप' प्राधिकार, घरेलू भुगतान प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, फीचर फोन-आधारित भुगतान सेवाएं, भुगतान प्रणालियों के लिए स्व-नियामक संगठन हेतु फ्रेमवर्क आदि *(प्रतिस्पर्धा)*।

(ii) तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सिस्टम में संसाधित लेन-देन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रभार का अधित्याग, एनईएफटी में ऑनलाइन लेन-देन के लिए बचत बैंक खाता ग्राहकों के लिए प्रभार का अधित्याग, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक प्रभार की समीक्षा, भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का कार्यान्वयन; बड़े मूल्य के सीमापार और घरेलू भुगतान के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) का वर्धित उपयोग, पीए (भुगतान एग्रीगेटर) के विनियमन के लिए फ्रेमवर्क आदि *(लागत)*।

(iii) एनईएफटी, आरटीजीएस और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) की 24x7x365 आधार पर उपलब्धता, असफल लेनदेन के संबंध में समाधान और मुआवजे के लिए प्रतिवर्तन समय (टर्न-अराउंड-टाइम) का सामंजस्य, कार्ड / पीपीआई/यूपीआई का उपयोग कर आवर्ती लेन-देन के लिए ई-अधिदेश (मैंडेट), छोटे मूल्य के कार्ड साथ लेन-देन के लिए अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक (एएफए) की आवश्यकताओं से छूट, संपर्क रहित लेन-देन की सीमा में वृद्धि, डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना, आदि *(सुविधा)*।

(iv) भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) को विनियमित करने के लिए फ्रेमवर्क, आवर्ती लेनदेन के लिए ई-अधिदेश, कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन और कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी), केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) की स्थापना, भुगतान प्रणाली स्पर्श बिंदु की जियो-टैगिंग,

भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) द्वारा भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए फ्रेमवर्क, आदि *(आत्मविश्वास)*।

2.3 जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी (त्रित्व), जो जन-धन और आधार के साथ कम लागत वाले मोबाइल और डेटा के रूप में राष्ट्रिक पहलों का एक संयोजन है, देश में डिजिटल भुगतान के विकास और उसके तीव्र प्रक्षेपवक्र के प्रमुख अवलंब हैं। यह देखते हुए कि 131 करोड़ से अधिक आधार कार्ड धारक हैं, आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) (सरकार से व्यक्ति अर्थात जी2पी भुगतान) द्वारा तरह-तरह के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की गई। इसका परिणाम यह भी हुआ कि माइक्रो-एटीएम का इस्तेमाल करते हुए कारोबार प्रतिनिधि (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) मॉडल द्वारा डिजिटल भुगतान की सुविधा देने से आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं के आधार में वृद्धि हुई है लगभग 114 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं (ट्राई, फरवरी 2022), में से लगभग 84 करोड़ (स्टेटिस्टा, 2021) के पास स्मार्ट फोन हैं, जिससे प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफार्मों के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग (बैंकों), फीचर फोन प्रयोक्ताओं के लिए वॉलेट (निजी संस्थाओं का प्रभुत्व) और यूएसएसडी आधारित भुगतान के साथ-साथ यूपीआई आधारित (यू पीआई123पे) के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की जा सकी है ।

2.4 कोविड-19 प्रेरित महामारी के प्रारंभ होनें के पहले से ही डिजिटल भुगतान को बढ़ते स्तर पर अपनाया जा रहा था, लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के साथ-साथ महामारी के अतिरिक्त जोर ने बदलाव को तेज कर दिया है, जिससे संपर्क रहित और ऑनलाइन भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन सभी संगठनों के लिए जो भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर हैं या निर्भर हैं, प्रभावी डिजिटल भुगतान रणनीति और संचालन मूलभूत हैं। डिजिटल मोड की संपर्क रहित प्रकृति – नवोन्मेष तकनीकों और नियामक लचीलेपन द्वारा सक्षम, ने करोड़ों भारतीयों को भुगतान करते समय सामाजिक दूरी अपनाने का विकल्प दिया है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति लघु व्यवसायों का डिजिटल भुगतान में प्रवेश है। आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2019 को समाप्त छमाही की तुलना में सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के दौरान भुगतान के डिजिटल मोड को स्वीकार करने वाले व्यापारियों में 500% से अधिक की वृद्धि हुई है; अकेले यूपीआई के मामले में, इसी अवधि में 1200% से अधिक की वृद्धि हुई है। भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) के कार्यान्वयन से संचालित पेमेंट टच पॉइंट्स (भुगतान स्पर्श बिन्दुओं) के अभिनियोजन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2.5 डिजिटल भुगतान मात्र तकनीक के बारे में नहीं है। उपभोक्ताओं के लिए, डिजिटल भुगतान को अपनाना उनकी जीवनशैली पर और इस बात पर निर्भर करता है वे डिजिटल/ऑनलाइन लेन-देन करने में कितना सहज महसूस करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2019 और सितंबर 2021 के बीच मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के विशिष्ट प्रयोक्ताओं में क्रमशः 99% और 18% की वृद्धि हुई है।

2.6 मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2022 के महीने में कुल डिजिटल भुगतान की मात्रा और मूल्य के मामले में क्रमशः 216% और 10% की वृद्धि हुई है। जबकि दूसरी तरफ, इसी अवधि के दौरान कागजी लिखतों के उपयोग में काफी कमी आई है और कुल खुदरा भुगतान में उनकी हिस्सेदारी मात्रा के संदर्भ में 3.83% से घटकर 0.88% और मूल्य के संदर्भ में 19.62% से घटकर 11.47% रह गई है। डिजिटल भुगतान में, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) लेनदेनों ने विज़न अवधि के दौरान क्रमशः 104%, 39% और 13% की कम्पाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की। हालांकि, बिक्री केंद्र (पीओएस) पर डेबिट कार्ड लेनदेन के मामले में सीएजीआर में 3.7% की कमी आई, जिसका मुख्य कारण महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंध थे।

2.7 यह भी देखा गया है कि भुगतान के लिए नकद आहरण की तुलना में डेबिट कार्ड के उपयोग, ऑफलाइन (या कार्ड प्रस्तुत) के साथ ऑनलाइन लेनदेन की अनुकूल प्रतिस्पर्धा और डिजिटल माध्यम से किए जा रहे छोटे या बड़े मूल्य के लेनदेन से प्रयोक्ताओं का अनुभव बदल गया है।

3. भुगतान विज़न 2025

मुख्य विषय

ई-पेमेंट्स (भुगतान) फॉर एवरीवन (हर एक के लिए), एवरीवेयर (हर जगह), एवरीटाइम (हर समय) (चार- ई)

विज़न - प्रत्येक प्रयोक्ता को संरक्षित, सुरक्षित, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना (6 विशेषताएँ)

3.1 हाल के कुछ वर्षों में भारत में भुगतान प्रणालियों की यात्रा अभूतपूर्व रही है। भुगतान विज़न 2025 हमारी भुगतान प्रणालियों को उस दायरे तक और अधिक उन्नत बनाने का भरोसा देता है, जहाँ प्रयोक्ताओं को किसी भी समय और कहीं भी आसानी से सस्ते भुगतान विकल्प सुलभ हों। जैसे जैसे यह यात्रा कम-नकदी और कम-कार्ड समाज की ओर आगे बढ़ती है, साख और विश्वास के साथ डिजिटल भुगतान विकल्पों के समूह का सहवर्ती विस्तार, प्रयोक्ताओं को एक निर्बाध डिजिटल भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण का निर्वहन सुनिश्चित करेगा। यह डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा। दुनिया भर में वर्तमान भू-राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, भुगतान विजन 2025 दस्तावेज़ किसी भी प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों को संबोधित करने का प्रयास करता है।

3.2 भुगतान (पेमेंट्स) विजन 2025 दस्तावेज अखंडता, समावेशन, नवोन्मेष, संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के पांच प्रमुख अवलंब लक्ष्यों (एंकर गोलपोस्ट) को लेकर प्रस्तुत किया गया है। उभरते खतरों के परिदृश्य से निपटने और उबरने के लिए परिचालनगत और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के प्रति आघात सहनीयता ध्यान में बनी रहेगी। ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए भुगतान प्रणालियों की सत्यनिष्ठा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भुगतान के डिजिटल और टचलेस मोड को अपनाने की दिशा में ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव/अंतरण (शिफ्ट) के कारण, मोबाइल बैंकिंग के प्रयोक्ताओं में 50% की वृद्धि हुई है, जो प्रयोक्ताओं के पहली बार डिजिटल फोल्ड में शामिल होने का संकेत देता है। इस बदलाव को अपरिवर्तनीय बनाए रखने की चुनौती वस्तुतः सुविधाजनक और अनुरूप भुगतान समाधान की खोज है, इस दिशा में आगे की कार्रवाई जारी रहेगी ।

3.3 अलग-अलग भुगतान डेटा संग्रह और प्रकाशन, जिससे यथावश्यक नीतिगत वृद्धि होगी; भौगोलिक क्षेत्रों से परे ग्राहक जागरूकता; प्रतिभागी सदस्य और ग्राहक समूह; राज्यों/जिलों में डिजिटल भुगतान स्वीकरण की बुनियादी अवसंरचना की स्थानिक व्याप्ति की पहचान; भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना के दायरे की समीक्षा; आदि के माध्यम से समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा,। नवोन्मेष को और बढ़ावा देने हेतु कार्ड के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) जैसी प्रणाली और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) डिवाइस आधारित भुगतान के लिए एक सक्षम फ्रेमवर्क की खोज की जाएगी।

3.4 यह भी उपयुक्त माना गया कि भारत की उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित किया जाए। वैश्विक मानक-निर्धारक निकायों की चर्चाओं में बढ़ती हुई भागीदारी, जिसमें आसपास के कॉरिडोर पर फोकस करते हुए अन्य अधिकार-क्षेत्रों की तेज़ भुगतान प्रणालियों के साथ अंतर-संबद्धता शामिल है, को आगे बढ़ाया जाएगा; इससे व्यापार और वाणिज्य में सुधार और धन-प्रेषण की लागत और समय कम करने की भी आशा की जा सकती है। डिजिटल भुगतानों को अधिक अपनाने और परिणामतः कम-नकदी के उपयोग से आशा है कि नकदी या निकट-नकदी विकल्पों की लागतों में कमी होगी। इससे जीडीपी में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी बढ़ेगी और लेन-देन में पारदर्शिता बेहतर होगी ।

3.5 भुगतान विज़न 2025 दस्तावेज़ में योजनाबद्ध विशिष्ट पहलों और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का एक स्नैपशॉट(आशुचित्र) नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

भुगतान विज़न 2025 के लिए लक्ष्य (गोलपोस्ट)

अखंडता	समावेशन	नवोन्मेष	संस्थागतकरण (संस्थायन)	अंतर्राष्ट्रीयकरण
डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन तंत्र(त्रों) को जोड़ना (पैरा 4.1.1)	डिजिटल भुगतान की बुनियादी अवसंरचना और लेन-देन की जियो-टैगिंग (भू-अंकन) सक्षम करना (पैरा 4.2.1)	इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) डिवाइस और कॉन्टेक्स्ट-आधारित भुगतानों के लिए फ्रेमवर्क सुकर करना (पैरा 4.3.1)	भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम के प्रावधानों और विनियमों के विधायी पहलुओं की व्यापक समीक्षा (पैरा 4.4.1)	आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई और रुपे कार्डों की वैश्विक पहुंच (आउटरीच) (पैरा 4.5.1)
सभी भुगतान गतिविधियों में कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एल इआई) के दायरे, उपयोग और सम्बद्धता को व्यापक बनाना (पैरा 4.1.2)	क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई सहित पूर्वदत्त लिखतों (पीपीआई) हेतु दिशा-निर्देशों, पर पुनर्विचार करना (पैरा 4.2.2)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सभी भुगतान प्रणाली संदेशों को आईएसओ 20022 मानक में माइग्रेट करना (पैरा 4.3.2)	भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड की सहायता के लिए भुगतान सलाहकार परिषद (पीएसी) का गठन करना (पैरा 4.4.2)	संरचनागत वित्तीय संदेश प्रेषण (एसएफएमएस), इंडियन फाइनेंसियल नेटवर्क (इन्फिनेट) फ्रेमवर्क के क्षेत्राधिकार में विस्तार करना (पैरा 4.5.2)
संपर्क रहित ट्रांज़िट कार्ड भुगतान की ऑफ़लाइन मोड में अंतर-प्रचालनीयता का विस्तार करना (पैरा 4.1.3)	भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के सभी महत्वपूर्ण बिचौलियों के नियमन के लिए फ्रेमवर्क पर विचार करना (पैरा 4.2.3)	क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस(यूपीआई) से सहबद्ध (लिंक) करना (पैरा 4.3.3)	बिक्री केंद्र(पीओएस) पर कार्ड लेनदेन और परिणामी निपटान के लिए राष्ट्रीय कार्ड स्विच का परिचालन करना (पैरा 4.4.3)	सीमा पार कार्ड लेन-देन के लिए 2 फैक्टर(कारक) अधिप्रमाणन (2एफए) (पैरा 4.5.3)
भुगतान प्रणालियों की मापनीयता और आघात-सहनीयता बढ़ाना (पैरा 4.1.4)	एक राष्ट्र - एक ग्रिड समाशोधन और निपटान के परिप्रेक्ष्य में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में संवर्धन लाना (पैरा 4.2.4)	इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग के उपयोग से ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट के प्रसंस्करण हेतु भुगतान प्रणाली बनाना (पैरा 4.3.4)	अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सक्रिय जुड़ाव और भागीदारी (मानक-निर्धारण निकायों पर चर्चा) (पैरा 4.4.4)	सतत सहसंबंधित निपटान (सीएलएस) में भारतीय रुपये को शामिल करने की मांग (पैरा 4.5.4)

धोखाधड़ी पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली का लाभ उठाना (पैरा 4.1.5)	सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) तक आंतरिक लोकपाल योजना का विस्तार करना (पैरा 4.2.5)	भुगतान नवोन्मेष प्रतियोगिताएं और हैकाथॉन आयोजित करना (पैरा 4.3.5)		केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की - घरेलू और सीमा - पार शुरूआत पर भुगतान प्रसंस्करण और निपटान में और दक्षता लाना (पैरा 4.5.5)
केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) को संवर्द्धन प्रदान करना (पैरा 4.1.6)	बाजार व्यापार और निपटान घंटों में वृद्धि का समर्थन (पैरा 4.2.6)	बहुविध भुगतान पहचानकर्ताओं की आवश्यकता की समीक्षा करना (पैरा 4.3.6)		
निधि अंतरण के लिए प्राप्तकर्ता का नाम खोजने का प्रावधान प्रदान करना (पैरा 4.1.7)	ग्राहक संपर्क और जागरूकता गतिविधियां बढ़ाना (पैरा 4.2.7)	बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) सेवाओं से जुड़े भुगतानों पर दिशा-निर्देश तलाशना (पैरा 4.3.7)		
भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की आनुपातिक अन्वेक्षा (निगरानी) बढ़ाना (पैरा 4.1.8)	भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना के दायरे और उपयोगिता का पुनरीक्षण करना (पैरा 4.2.8)			
वित्तीय बाजार की बुनियादी अवसंरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआई) के तहत आरटीजीएस और एनईएफटी का मूल्यांकन शामिल करना (पैरा 4.1.9)	भुगतान के क्षेत्र में बिगटेक और फिनटेक के विनियमन का प्रयास करना (पैरा 4.2.9)			

भुगतान लेनदेन का स्थानीय प्रसंस्करण तलाशना (पैरा 4.1.10)	भुगतान प्रणाली के बारीक,अलग – अलग आंकड़े (डेटा) एकत्र करना और उनका प्रकाशन करना (पैरा 4.2.10)			
डिजिटल भुगतान संरक्षण कोष (डीपीपीएफ) के निर्माण हेतु अध्ययन (पैरा 4.1.11)	भुगतान प्रणालियों को अधिक समावेशी बनाना (पैरा 4.2.11)			
	सभी भुगतान प्रणालियों के प्रभारों का मूल्यांकन करना (पैरा 4.2.12)			
	सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों के डिजिटल मोड में स्थानांतरण हेतु समन्वय करना (पैरा 4.2.13)			

3.6 उपर्युक्त पांच गोलपोस्ट के तहत प्रस्तावित विभिन्न पहलों के विज़न अवधि के दौरान निम्नलिखित दस अपेक्षित परिणाम होंगे:

I. चेक-आधारित भुगतानों की मात्रा कुल खुदरा भुगतानों के 0.25% से कम होना;
II. डिजिटल भुगतान लेन-देन की संख्या में 3 गुना से अधिक की वृद्धि;
III. यूपीआई 50% और आईएमपीएस/एनईएफटी 20% की औसत वार्षिकीकृत संवृद्धि दर्ज होना;
IV. भुगतान लेन-देन के व्यापारावर्त में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में 8 की वृद्धि;
V. बिक्री केंद्र (पीओएस) पर डेबिट कार्ड लेन-देन में 20% की वृद्धि;
VI. मूल्य के मामले में डेबिट कार्ड का उपयोग क्रेडिट कार्ड के अधिक होना;
VII. पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) लेन-देन में 150% की वृद्धि;
VIII. कार्ड स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना बढ़कर 250 लाख होना;

IX. मोबाइल आधारित लेन-देन के लिए पंजीकृत ग्राहक आधार में 50% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि; तथा

X. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा (सीआईसी) में कमी।

4. विशिष्ट पहल

4.1 अखंडता

4.1.1 डिजिटल भुगतान लेन-देन हेतु वैकल्पिक अधिप्रमाणन तंत्र(त्रों) को जोड़ना

सभी भुगतान लेन-देन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्यतया अतिरिक्त कारक अधिप्रमाणन (एएफए) या 2 कारक अधिप्रमाणन (2एफए) निर्धारित किए गए हैं । यद्यपि एएफए का फॉर्म फैक्टर निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन एसएमएस आधारित ओटीपी एक जाना-पहचाना (गो-टू) एएफए बन गया है। ग्राहक के गोपनीय विवरणों की जानकारी हेतु फ़िशिंग / विशिंग / स्मिशिंग मोड के बढ़ते मामलों के कारण ओटीपी-आधारित अधिप्रमाणन के प्रति बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहारगत बायोमेट्रिक्स, स्थान/ परम्परागत भुगतान, डिजिटल टोकन, इन-ऐप अधिसूचना, आदि का लाभ उठाते हुए वैकल्पिक जोखिम-आधारित अधिप्रमाणन तंत्र का पता लगाया जाएगा।

4.1.2 सभी भुगतान गतिविधियों में कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) का दायरा, उपयोग और प्रासंगिकता व्यापक करना

भुगतान प्रणालियों में एलईआई के उपयोग को प्रोत्साहित करने से भुगतानों पर त्वरित कार्रवाई करने, इसमें सम्मिलित पक्षकारों की विशिष्ट पहचान करने में सुविधा होती है, अधिक सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बहुविध अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) में एक इकाई के लिए एकल पहचान अपनाने में मदद मिलती है। सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के लिए जी 20 रोडमैप में उल्लिखित गति और पारदर्शिता के पहलू भी इसके द्वारा संबोधित हो सकेंगे। प्रतिबंधों की अनुवीक्षा (जांच), अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), कॉर्पोरेट बीजक समाधान, धोखाधड़ी का पता लगाने आदि जैसे क्षेत्रों में एलईआई के उपयोग का पता लगाया जाएगा।

4.1.3 संपर्क रहित ट्रांज़िट कार्ड भुगतान की ऑफ़लाइन मोड में अंतर-प्रचालनीयता का विस्तार करना

राष्ट्रीय आम गतिशीलता कार्ड (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) के लॉन्च के साथ ऑफ़लाइन मोड में संपर्क रहित भुगतान की अनुमति दी गई थी। आरंभ में टैप-एंड-गो ऑफ़लाइन भुगतान की सुविधा की अनुमति ट्रांज़िट भुगतान के लिए तेज़ चेक आउट टाइम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दी गई थी और बाद में जनवरी 2022 में इसे खुदरा भुगतानों के लिए बढ़ा दिया गया। संपर्क रहित भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के मानकों हेतु क्यू स्पार्क (क्यूएसपीएआरसी) विनिर्देशों का उपयोग किया। ऑफ़लाइन मोड में संपर्क रहित ट्रांज़िट कार्ड भुगतान के लिए अंतर-परिचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) की संभावना का पता लगाया जाएगा ताकि विभिन्न ट्रांज़िट ऑपरेटरों के लिए उपयोग किए जाने वाले एकल भुगतान लिखत के साथ निर्बाध यात्रा की सुविधा मिल सके।

4.1.4 भुगतान प्रणालियों की मापनीयता और आघात सहनीयता बढ़ाना

4.1.4.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 और जून 2019 में केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के लिए अभिशासन, अपेक्षित निवल मालियत, स्वामित्व और मान्यता प्राप्त विदेशी सीसीपी के संबंध में निदेश जारी किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक इन निदेशों की व्यापक समीक्षा करेगा ताकि, नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, निदेशकों के फिट एण्ड प्रॉपर मानदंड सहित अभिशासन के मानक बैंकों के समान संरेखित हों। सीसीपी को जारी किए गए सभी अनुदेशों को समेकित करने का प्रयास किया जाएगा।

4.1.4.2 केंद्रीय बैंक मुद्रा में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का निपटान ई-कुबेर (भारिबै की मुख्य लेखा प्रणाली) और आरटीजीएस दोनों में, निपटान जोखिम का प्रशमन सुनिश्चित करते हुए, किया जाता है। आरबीआई, सदस्यों के लिए कुशल चलनिधि प्रबंधन की सुविधा के लिए, सदस्यों के हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में धन के निर्बाध हस्तांतरण हेतु चलनिधि सेतु की एक प्रणाली विकसित करेगा।

4.1.4.3 एनईएफटी प्रणाली पूरे वर्ष चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। एनईएफटी वर्तमान में पूरे दिन में आधे घंटे के अंतराल पर बैचों में संचालित होती है। निपटान जोखिम को और कम करने के साथ-साथ भुगतान को वास्तविक समय के करीब बनाकर दक्षता में सुधार करने के लिए, एनईएफटी बैचों की आवृत्ति की समीक्षा और वृद्धि की जाएगी।

4.1.5 धोखाधड़ी पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली का लाभ उठाना

रिज़र्व बैंक द्वारा 18 फरवरी, 2021 को डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर जारी मास्टर निदेश में विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे ग्राहकों के लिए अपने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन पर एक तंत्र (व्यवस्था) प्रदान करें ताकि वे किसी भी लेनदेन में धोखाधड़ी को पहचान/मार्क कर उसकी अधिसूचना तत्काल/निर्बाध रूप से जारीकर्ता विनियमित संस्था (आरई) को दे सकें। संबंधित विनियमित संस्था ऐसी क्षमता का निर्माण करे कि इस प्रकार की अधिसूचना मिलने पर, वह धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन की रिपोर्टिंग संपर्की लाभार्थी/प्रतिपक्षकार की विनियमित संस्था को तत्काल/निर्बाध रूप से कर सके। इस निदेश के कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी विनियमित संस्था (आरई) को ऐसे संदेश पहुँचाने के लिए मार्ग प्रसस्थ करने हेतु एक केंद्रीय एजेंसी हो। जब तक यह वैशिष्ट्य (सुविधा) केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) के हिस्से के रूप में निर्मित नहीं हो जाती, तब तक इसके लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली का लाभ उठाने की साध्यता की जांच की जाएगी।

4.1.6 केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) को संवर्धन प्रदान करना

4.1.6.1 केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) मार्च 2020 में स्थापित की गई थी और यह तत्समय से कार्यरत है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर-बैंक पीपीआई (पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत) जारीकर्ता, भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए सीपीएफआईआर का उपयोग करते

हैं। शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तक (इसकी) पहुंच की जांच की जाएगी। इसके अलावा, धोखाधड़ी पूर्ण हिताधिकारियों के नकारात्मक आधारभूत आकड़े एकत्रित करने, धोखेबाजों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने, भुगतान धोखाधड़ी की प्रवृत्ति पर रिपोर्ट प्रकाशित करने, आदि के संदर्भ में सीपीएफ आईआर की संवृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4.1.6.2 सीपीएफआईआर में रिपोर्ट किए गए भुगतान धोखाधड़ी के मामलों का सदुपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि भुगतान धोखाधड़ी की वास्तविक समय/निकट-वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग हो और सभी हितधारकों (भुगतान प्रणाली परिचालकों और सहभागियों - बैंकों और गैर- बैंकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, आदि) को सूचना साझा करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म हो। रिज़र्व बैंक सीपीएफआईआर को अन्य धोखाधड़ी रिपोर्टिंग समाधानों के साथ एकीकृत करने की साध्यता की जांच करने के लिए उद्योग और सरकार के साथ संलग्न होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग और भुगतान धोखाधड़ी के समाधान के लिए एक एकल व्यापक मंच उपलब्ध कराया जा सके है।

4.1.7 निधि अंतरण के लिए प्राप्तकर्ता का नाम खोजने का प्रावधान करना

वर्तमान में, निधि अंतरण भुगतान प्रणालियां अर्थात आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई सकारात्मक पुष्टि की एक प्रणाली प्रदान करते हैं जिसके द्वारा प्रेषक को लाभार्थी के पास जमा (क्रेडिट) होने के बारे में भी सूचित किया जाता है। इनमें से केवल यूपीआई में भुगतानकर्ता के लिए भुगतान करने से पहले भुगतान किए जा रहे खाताधारक के नाम की जांच और पुष्टि करने की सुविधा है। एक अवधि के दौरान, अनजाने में गलत खाता संख्या प्रविष्टि के कारण अनभिप्रेत लाभार्थी को क्रेडिट हो जाने के बारे में शिकायतें मिलती हैं। इसलिए, आदाता का नाम जानने (लुक-अप) की शुरुआत, लाभार्थी के वास्तविक नाम जाँच करने की सेवा, अन्य निधि अंतरण प्रणालियों जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, आदि में भी उपलब्ध कराने की खोज की जाएगी ।

4.1.8 भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की आनुपातिक अन्वेक्षा बढ़ाना

कार्ड नेटवर्क और सीमापार मनी ट्रांसफर (आवक सेवा) प्रचालकों की निगरानी वर्तमान में ऑफ-साइट रिटर्न जमा करके की जाती है। ऐसी इकाइयों का ऑन-साइट निरीक्षण करने की आवश्यकता का पता लगाया जाएगा और आरंभ में, ऑनसाइट दौरे की आवश्यकता की जांच की जाएगी जिसमें इन इकाइयों के अधिकारियों के साथ बातचीत के साथ-साथ विदेशी विनियामकों के साथ बातचीत भी शामिल है।

4.1.9 वित्तीय बाजार की बुनियादी अवसंरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआई) के तहत आरटीजीएस और एनईएफटी का मूल्यांकन शामिल करना

आरबीआई ने वित्तीय बाजार की बुनियादी अवसंरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआई) को भुगतान और बाजार बुनियादी अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित अपने नीतिगत दस्तावेज "आरबीआई द्वारा विनियमित एफएमआई (वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर्स)

का विनियमन और पर्यवेक्षण" के माध्यम से अपनाया है। तदनुसार, सभी आरबीआई प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों को प्रणालीगतरूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली/ सिस्टम वाइड (प्रणाली व्यापी) महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के रूप में घोषित किया गया है और प्रतिभूति निपटान प्रणाली, केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी), केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी और ट्रेड रिपोजिटरी से पीएफएमआई मानकों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। आरटीजीएस और एनईएफटी जो आरबीआई के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित हैं, का मूल्यांकन समय-समय पर पीएफएमआई मानकों के तहत किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

4.1.10 भुगतान लेन-देन के स्थानीय प्रसंस्करण की तलाश

वर्तमान में भुगतान आंकड़ों (डेटा) के घरेलू भंडारण के लिए दिशा-निर्देश हैं। बैंकों और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को कुछ शर्तों के अधीन विदेशों में भुगतान लेन-देन प्रसंस्कृत करने की अनुमति है। उभरते भू-राजनीतिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए भुगतान लेन-देन के घरेलू प्रसंस्करण को अनिवार्य करने सहित घरेलू भुगतान प्रणालियों को सुरक्षा घेरे में रखने के विकल्पों का पता लगाया जाएगा।

4.1.11 डिजिटल भुगतान संरक्षण कोष (डीपीपीएफ) के निर्माण हेतु अध्ययन

डिजिटल भुगतान की विधियों को वर्धित रूप से अपनाने के साथ, डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है। हितधारकों के प्रयासों के बावजूद, धोखाधड़ी की गई राशि की वसूली दर बहुत उत्साहजनक नहीं है। ठगे गए ग्राहकों/भुगतान लिखतों के जारीकर्ताओं को सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से डीपीपीएफ के सृजन की गुंजाइश /साध्यता का अध्ययन किया जाएगा।

4.2 समावेशन

4.2.1. डिजिटल भुगतान की बुनियादी अवसंरचना और लेन-देनों की जियो-टैगिंग (भू-अंकन) सक्षम करना

भुगतान प्रणाली स्पर्श बिंदुओं की जियो-टैगिंग (भू-अंकन) के लिए एक फ्रेमवर्क (ढांचा) निर्धारित किया गया है और रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना के भू-निर्दे शांक सहित अवस्थिति की जानकारी संग्रह करना शुरू कर दिया है। देश में विभिन्न राज्यों/जिलों/क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के विस्तार को मापने और लक्षित हस्तक्षेप करने व साथ-साथ पीएसओ और प्रतिभागियों द्वारा धोखाधड़ी की निगरानी और विवाद समाधान को बढ़ाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ग्राहकों की निजता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भुगतान लेन-देन की जियो-टैगिंग की वांछनीयता और साध्यता की जांच करेगा।

4.2.2 बंद व्यवस्था (क्लोज्ड सिस्टम) के पूर्वदत्त लिखतों (पीपीआई) सहित पूर्वदत्त लिखतों हेतु दिशा-निर्देशों की समीक्षा

पीपीआई हमेशा एक उभरता हुआ क्षेत्र रहा है और ऐसे कई प्रतिभागी हैं जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय मॉडल को अपनाते हुए पीपीआई जारी करते हैं और प्रचालित करते हैं - व्यापारियों के एक बंद समूह के

अंदर उपयोग के लिए या खुले तौर पर व्यापक उपयोग के लिए। एक पीपीआई को एक भुगतान लिखत के रूप में देखा जा सकता है जिसका उद्देश्य ग्राहक की नकदी वरीयता को डिजिटल में स्थानांतरित करना है। जबकि पीपीआई का उपयोग करते हुए डिजिटल भुगतान लेन-देन बढ़ रहा है, आरबीआई लेनदेन की वर्धित सुरक्षा के साथ पीपीआई के दीर्घकालिक विकास के लिए एक अनुकूल फ्रेमवर्क विकसित करना जारी रखेगा। पूर्ण-केवाईसी के साथ पीपीआई की समय सीमा, बंद व्यवस्था वाले (क्लोज्ड सिस्टम) पीपीआई की परिभाषा और संबंधित पहलुओं सहित विभिन्न प्रकार के पीपीआई की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

4.2.3 भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के सभी महत्वपूर्ण मध्यस्थों के विनियमन के लिए फ्रेमवर्क पर विचार करना

भुगतान प्रसंस्करण और निधि हस्तांतरण में नवोन्मेष के साथ मध्यस्थों का उदय हुआ, जो भुगतानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। वे भुगतान उद्योग के सहभागियों को कई तरह की झंझटों से दूर रखते हैं और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रयोक्ताओं को जोड़ने (ऑनबोर्डिंग) की प्रक्रिया के कार्यान्वयन की एकरूपता में और ऐसे मध्यस्थों के परिचालन में पारदर्शिता की कमी पाई गई है। वर्तमान में, आरबीआई ने पेमेंट गेटवे (पीजी) की आधारभूत प्रौद्योगिकी के संबंध में सिफारिशें करते हुए ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर (समूहक) (पीए) की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। ऑफ़लाइन पीए सहित सभी महत्वपूर्ण भुगतान मध्यस्थों को आरबीआई के प्रत्यक्ष विनियमन के तहत लाने की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

4.2.4 एक राष्ट्र-एक ग्रिड समाशोधन और निपटान के परिप्रेक्ष्य में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में संवृद्धि लाना

4.2.4.1 कुशल चेक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, तीन क्षेत्रीय ग्रिडों की वर्तमान संरचना से 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' में स्थानांतरित करने के उपाय किए जाएंगे। इससे आशा है कि लागत प्रभाविता में सुधार होगा और संबंधित नियमों के सरल होंगे।

4.2.4.2 चेकों के समाशोधन और निपटान के लिए चेक प्रस्तुति और वापसी सत्रों के बैच प्रसंस्करण की मौजूदा व्यवस्था को 'ऑन-रियलाइज़ेशन-सेटलमेंट' (वसूली के आधीन निपटान) मॉडल में माइग्रेट किया जाएगा, जिसमें प्रसंस्करण निरंतर होता रहेगा। इससे निपटान जोखिम को कम करने, बैंकों को लिखत प्रस्तुत करने हेतु अधिक समय खिड़की प्राप्त होने और ग्राहकों के धन की तेजी से वसूली हो सकने की उम्मीद है।

4.2.5 आंतरिक लोकपाल योजना का सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) तक विस्तार करना

विश्वास निर्माण उपाय के रूप में और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए, आंतरिक लोकपाल योजना को 2019 में बड़े गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं, जिनके पास संख्यात्मक रूप से एक करोड़ से अधिक बकाया पीपीआई थे, के लिए संस्थायन किया गया था। यह योजना इकाई के भीतर ही एक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है जिसमें शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष स्तर पर स्थित एक स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा शिकायतों का त्वरित, कुशल और प्रभावी निवारण किया जाता है ताकि ग्राहकों को निवारण के लिए अन्य मंचों से संपर्क

करने की आवश्यकता न्यूनतम हो सके। अब तक के सकारात्मक अनुभव से अब सभी प्राधिकृत पीएसओ को इस योजना के अधीन लाने के उपाय किए जाएंगे।

4.2.6 बाजार व्यापार और निपटान घंटों में वृद्धि का समर्थन

वर्तमान में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार निश्चित घंटों में काम करते हैं। यद्यपि, आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान प्रणालियां जो इन बाजारों में निपटान को संभव बनाती हैं, 24x7 आधार पर काम करती हैं। भुगतान प्रणालियों की 24x7x365 आधार पर उपलब्धता का लाभ उठाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक के संबंधित बाज़ार विभागों के संयोजन के साथ, इन बाज़ारों के व्यापार के घंटों के विस्तार से व्यापार और निपटान के लिए लंबे समय तक बाज़ार उपलब्ध रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे इन बाजारों में दक्षता और कीमत शोध में वृद्धि होगी।

4.2.7 ग्राहक संपर्क और जागरूकता संबंधी गतिविधियां बढ़ाना

रिज़र्व बैंक अपने इलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई - बीएएटी) कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से उपाय कर रहा है और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से डिजिटल भुगतान मोड के सुरक्षित उपयोग पर अभियान चला रहा है। हाल ही में, भुगतान से संबंधित साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे ग्राहक जागरूकता अभियानों को तेज करने की आवश्यकता बढ़ गई है। बैंक-शाखा स्तर पर हर संभव परम्परागत चैनेल और सोशल मीडिया सहित अन्य चैनलों का उपयोग करते हुए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेज किया जाएगा । प्रशिक्षण के दृष्टिकोण को, निष्क्रिय और जनसमूह संप्रेषण के बजाय प्रयोक्ता विशिष्ट और अनुकूल संप्रेषण चैनल में बदला जाएगा। विभिन्न भुगतान प्रणालियों को कवर करने के लिए "आरबीआई कहता है " टैग के तहत जन जागरूकता अभियानों का दायरा बढ़ाया जाएगा और उनकी प्रभावशीलता की जाँच आवधिक आधार पर किए गए ग्राहक सर्वेक्षणों के परिणामों के माध्यम से की जाएगी।

4.2.8 पुनरीक्षण कार्य-क्षेत्र (स्कोप) और पीआईडीएफ योजना की उपयोगिता

वर्तमान में, भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना देश के टियर -3 से टियर -6 केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) बुनियादी अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के अभिनियोजन के लिए सहायकी (सब्सिडी) देती है। टियर -1 और टियर -2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर (फेरीवाला) आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के लाभार्थी भी सम्मिलित हैं। भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के सफल रोल-आउट के बाद, योजना को जारी रखने के लिए और, यदि आवश्यक हुआ तो स्वीकृति बुनियादी ढांचे के लक्षित विस्तार के लिए तथा अधिक क्षेत्रों और व्यापारी श्रेणियों को कवर करने के लिए इसके दायरे की आगे समीक्षा की जाएगी ।

4.2.9 भुगतान के क्षेत्र में बिगटेक और फिनटेक के विनियमन का प्रयास करना

बिगटेक्स और फिनटेक्स नए प्रयोक्ताओं को जोड़ने और भुगतान अनुभव को अनुकूलित करने में एक शक्तिवर्धक भूमिका निभाते हैं। भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी बढ़ती हुई प्रभावशाली भूमिका को देखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा घरेलू निगमन, रिपोर्टिंग, डेटा उपयोग आदि को सम्मिलित करते हुए आनुपातिक विनियमन की आवश्यकता पर एक चर्चा पत्र (डिस्कशन पेपर) प्रकाशित किया जाएगा।

4.2.10 भुगतान प्रणाली के बारीक,अलग-अलग आंकड़े (डेटा) एकत्र करना और उनका प्रकाशन करना

रिज़र्व बैंक भुगतान लेनदेन, भुगतान करने के लिए विभिन्न चैनलों के उपयोग और भुगतान स्वीकृति की बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता को समाविष्ट करते हुए भुगतान प्रणाली संकेतकों पर बारीक डेटा प्रकाशित करता है। न केवल भुगतान प्रणाली डेटा का दैनिक प्रसार किया जाता है, बल्कि मासिक / त्रैमासिक आधार पर बारीक डेटा के प्रकाशन में विलंब को भी मुख्यतः कम किया गया है। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और भुगतान में गहन प्रवृत्तियों के विश्लेषण की सुविधा के साथ-साथ देश भर में वित्तीय समावेशन के विस्तार का आकलन करने के लिए, भुगतान प्रणालियों पर अलग-अलग डेटा संग्रह और प्रकाशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

4.2.11 भुगतान प्रणालियों को अधिक समावेशी बनाना

रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान की पहुंच जनसंख्या के विभिन्न स्तरों तक पहुंचाने में सबसे आगे रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों, दृष्टिबाधित लोगों सहित, को डिजिटल रूप से लेन-देन करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने में सहायता के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक उपयुक्त नीतिगत पहलों को लागू करने की साध्यता की जांच करेगा, जिसमें सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले आइकन (अनुप्रतीक) का मानकीकरण, टेक्स्ट-टू-वॉयस (पाठ से वार्ता) सुविधाएँ आदि शामिल हैं।

4.2.12 सभी भुगतान प्रणालियों के प्रभारों का मूल्यांकन करना

डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने में लागत आती है, जो भुगतान प्रणाली के एक या अधिक सहभागियों (स्विचिंग शुल्क, इंटरचेंज शुल्क, आदि) द्वारा वहन की जाती हैं अथवा व्यापारी (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) या ग्राहक (ग्राहक प्रभार) से ली जाती है। व्यापारियों और/या ग्राहकों से शुल्क/प्रभार एकत्र करते समय, भले ही वह डिजिटल भुगतान की अर्थक्षमता के लिए आवश्यक क्यों न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखी जाए कि वे वाजिब हों और डिजिटल भुगतान को अपनाने से रोकते नहीं हों। डिजिटल भुगतान के विभिन्न चैनलों में शामिल शुल्क/प्रभार से संबंधित सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

4.2.13 सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को डिजिटल मोड में स्थानांतरण हेतु समन्वय करना

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के भाग के रूप में सरकारी सब्सिडी(आर्थिक सहायता) को लक्षित लाभार्थियों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सरकार(रों) और सरकारी एजेंसियों की मदद कर रहा है। आधार भुगतान

ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) एक तरफ सरकारी विभागों और उनके प्रायोजक बैंकों को और दूसरी तरफ लाभार्थी बैंकों और लाभार्थियों को जोड़ता (सहबद्ध करता) है। सभी सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को डिजिटल मोड में माइग्रेट करने के लिए, रिज़र्व बैंक अपने भुगतान प्लेटफ़ॉर्म को रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर के साथ एकीकृत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करेगा।

4.3 नवोन्मेष

4.3.1 इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) डिवाइस और कॉन्टेक्स्ट-आधारित भुगतानों के लिए फ्रेमवर्क सुगम करना

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी डिवाइस), भुगतान परिदृश्य में तेजी से क्रांति लाने के साथ-साथ इसका अंग बनते जा रहे हैं। एक आईओटी (डिवाइस) समर्थित भुगतान प्रणाली उपभोक्ताओं को केवल फोन या टैबलेट के परे संबद्ध डिवाइस के माध्यम से कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करने में सहायता कर सकती है। इस खंड (सेगमेंट) की संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए, डेटा सुरक्षा, अधिप्रमाणन, पहचान वैधीकरण आदि पहलुओं को सम्मिलित करते हुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी डिवाइस) - आधारित भुगतानों हेतु एक सक्षम फ्रेमवर्क की सुविधा प्रदान की जाएगी।

4.3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सभी भुगतान प्रणाली संदेशों को आईएसओ 20022 मानक में माइग्रेट करना

संदेश, किए जाने वाले भुगतान लेन-देन हेतु, महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए नियमों का एक सामान्य सेट प्रदान करते हैं। दुनिया भर में भुगतान प्रणाली परिचालकों (ऑपरेटरों) ने आईएसओ 20022 को लागू करना आरंभ कर दिया है। यह मानक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है – कम शारीरिक (मैन्युअल) हस्तक्षेप के साथ सीधे प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है, भुगतान प्रणालियों के बीच स्विच करने और संदेशों के रि-रूटिंग की अनुमति देता है जो प्रयोक्ताओं पर आउटेज (कटौती के समय) के प्रभाव को कम करता है, बेहतर अनुपालन और विनियमन संभव करने के साथ-साथ व्यवसायों के लिए धोखाधड़ी का पता लगाने और वित्तीय अपराध को लक्षित करने में सहायता करने हेतु समृद्ध डेटा प्रदान करता है, बेहतर वैश्लेषिकी (विश्लेषण) और अधिक कुशल समाधान की सुविधा प्रदान करता है, सीमापार भुगतान आदि संभव करने हेतु समर्थकारी अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को बढ़ावा देता है। इन लाभों का फ़ायदा उठाने और अन्य अधिकार-क्षेत्र की प्रणालियों के साथ अधिक अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करने हेतु आरबीआई - संचालित सभी भुगतान संदेश प्रणालियों को आईएसओ 20022 मानक में माइग्रेट (स्थानांतरित) करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

4.3.3 क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) से सहबद्ध करना

अन्य खुदरा भुगतानों, विशेष रूप से कार्ड लेन-देन के बदले यूपीआई लेनदेन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी लोकप्रियता के कारणों में से एक है प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सुविधा और निर्बाध अनुभव है।

वर्तमान में, एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) प्रयोक्ता केवल बैंक खाते (बचत / चालू खाता) और डेबिट कार्ड को यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) से लिंक कर सकता है। यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान करने में प्रयोक्ताओं अधिक अवसर और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को यूपीआई से जोड़ने की साध्यता का पता लगाया जाएगा।

4.3.4 इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग के उपयोग से ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट के प्रसंस्करण हेतु भुगतान प्रणाली बनाना

इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके किए गए सभी व्यापारी भुगतान लेनदेन वर्तमान में भुगतान गेटवे/भुगतान एग्रीगेटर के माध्यम से प्रसंस्कृत किए जाते हैं। चूंकि इस प्रथा में व्यापारी निपटान (मर्चेंट सेटलमेंट) में देरी होती है, इसलिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि इन सभी लेन-देन को भुगतान प्रणाली के माध्यम से भी प्रसंस्कृत किया जा सके।

4.3.5 भुगतान नवोन्मेष प्रतियोगिताएं और हैकथॉन आयोजित करना

नवोन्मेष, भुगतान को अधिक सुविधाजनक, तात्कालिक और सर्वव्यापक बना रहा है। आरबीआई के पहले वैश्विक हैकथॉन - "हारबिंगर 2021 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" की सफलता को ध्यान में रखते हुए , नवोन्मेष को बढ़ावा देने और विचारों के आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट (भुगतान) हैकथॉन, प्रतियोगिताएं और सम्मेलन आयोजित करने के प्रयास जारी रखे जाएंगे।

4.3.6. बहुविध भुगतान पहचानकर्ताओं की आवश्यकता की समीक्षा करना

आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के माध्यम से निधि अंतरण हेतु पहचानकर्ता के रूप में लाभार्थी बैंक खाता संख्या और भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) की आवश्यकता होती है। चूंकि प्रत्येक बैंक में बैंक खाता संख्या विशिष्ट होती है, इसलिए लाभार्थी शाखा के भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) के बिना निधि अंतरण सुकर बनाया जा सकता है। निधि अंतरण करने के लिए आईएफएससी की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी और ग्राहकों के लिए निधि अंतरण को आसान और झंझट रहित बनाने के लिए लाभार्थी बैंक विवरण जानने के लिए उपयुक्त प्रावधान के साथ वैकल्पिक पर्याय (ऑप्शन) खोजे जाएंगे।

4.3.7 बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) सेवाओं से जुड़े भुगतानों पर दिशा-निर्देश खोजना

बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) सेवाएं मौजूदा भुगतान मोड जैसे कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग के साथ एक नए भुगतान मोड के रूप में विकसित हुई हैं। यह चैनल, कुछ भुगतान एग्रीगेटरों द्वारा सुकर किया गया है, बीएनपीएल ग्राहक और एक व्यापारी के बीच भुगतान को रूट करने के लिए मौजूदा नोडल खाता (प्राधिकृत होने के बाद एस्क्रो खाता) का उपयोग करता है। इस नई पद्धति की जांच की जाएगी, और बीएनपीएल से जुड़े भुगतानों पर उचित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु शोध किया जाएगा।

4.4 संस्थागतकरण (संस्थायन)

4.4.1 भुगतान और निपटा न प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम के प्रावधानों और विनियमों के विधायी पहलुओं की व्यापक समीक्षा

भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास विशिष्ट भुगतान प्रणाली कानून है। भुगतान प्रणालियों के विकास और व्यवस्थित कार्य-पद्धति के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम 2007 में बनाया गया था जबकि भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र नवोदित था। अत्यधिक गतिशील और तेजी से विकसित हो रहे भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की उभरती आवश्यकताओं, घरेलू और सीमापार दोनों, को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक पीएसएस अधिनियम और संबंधित विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का उद्यम करेगा।

4.4.2 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की सहायता के लिए भुगतान सलाहकार परिषद (पीएसी) का गठन करना

बीपीएसएस की सहायता के लिए, उपभोक्ता समूहों, भुगतान प्रौद्योगिकी, कानून, बैंकर्स, फिनटेक / स्टार्ट-अप्स, डेटा विश्लेषकों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों के साथ एक पीएसी का गठन किया जाएगा। पीएसी की संरचना की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और इसकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित की जाएगी।

4.4.3 बिक्री केंद्र (पीओ एस) पर कार्ड लेनदेन और परिणामी निपटान के लिए राष्ट्रीय कार्ड स्विच का परिचालन करना

सभी एटीएम लेनदेन मुख्यतः राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) के माध्यम से प्रसंस्कृत होते हैं। वर्तमान में, जबकि एटीएम में कार्ड लेनदेन या तो एनएफएस या एटीएम नेटवर्क या संबंधित कार्ड नेटवर्क के माध्यम से प्रसंस्कृत होते हैं, बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर कार्ड लेनदेन केवल संबंधित कार्ड नेटवर्क के माध्यम से प्रसंस्कृत होते हैं। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और इस प्रकार लेन-देन के प्रसंस्करण में अधिक दक्षता और नवोन्मेष के लिए, पीओएस टर्मिनलों पर कार्ड लेन-देन के प्रसंस्करण और परिणामी निपटान के लिए एक राष्ट्रीय कार्ड स्विच को लागू करने की संभावना की जांच की जाएगी।

4.4.4 अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सक्रिय जुड़ाव और भागीदारी (मानक-निर्धारण निकायों पर चर्चा)

रिज़र्व बैंक, भुगतान प्रणालियों से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों अर्थात वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई), आदि में भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से गठित कार्य समूहों, कार्यबलों आदि में सक्रिय रूप से भाग लेता हैं। सन 2023 में भारत के जी-20 के अध्यक्ष पद पर होने से भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे मंचों में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखेगा और विश्व भर में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा।

4.5 अंतर्राष्ट्रीयकरण

4.5.1 आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई और रुपे कार्डों की वैश्विक पहुंच

4.5.1.1 यूपीआई की क्षमता को दुनिया भर में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा मान्यता दी गई है। रिज़र्व बैंक सुसंगत हितधारकों (जैसे केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), विश्व बैंक, अन्य संस्थानों आदि) के साथ सहयोग करके घरेलू भुगतान प्रणालियों के संचालन की सीमा-विस्तार करने के लिए वैश्विक लोकसंपर्क पहल का सक्रिय समर्थन करेगा।

4.5.1.2 तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली वर्तमान में सकल आधार पर घरेलू निधि अंतरण लेन-देन का निपटान करती है। यह प्रणाली जो आईएसओ 20022 मानक के अनुसार परिचालित और घरेलू आवश्यकतानुरुप अनुकूलित है, को सीमापार निधि अंतरण के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुसार सुव्यवस्थित किया जाएगा। प्रमुख व्यापारिक मुद्राओं जैसे यूएसडी, पाउंड, यूरो, आदि में लेन-देन को निपटाने के लिए आरटीजीएस के विस्तार की संभाव्यता का पता द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से लगाया जाएगा। इस व्यवस्था से व्यापारियों को विदेशी मुद्रा में आगम वास्तविक समय पर प्राप्त होने और देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की आशा की जा सकती है।

4.5.1.3 रिजर्व बैंक द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) तक पहुंच के लिए, एक इकाई को आरबीआई के पास एक चालू खाता और एक निपटान खाता बनाए रखना आवश्यक है। सीपीएस के माध्यम से अन्य अधिकार-क्षेत्र से/को भुगतान सुकर बनाने के लिए, अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाता और निपटान खातों को भारतीय रूपये (₹) में बनाए रखने की संभाव्यता का पता लगाया जाएगा। इसी तरह विदेशी मुद्राओं में सीधे धन-प्रेषण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से , भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य केंद्रीय बैंकों के पास खातों को बनाए रखने की जांच करेगा। इससे भारतीय रुपये की स्वीकृति अन्य अधिकार-क्षेत्रों में बढ़ने और सीमापार लेन-देन को किफायती और समयोचित होने की आशा की जा सकती है।

4.5.1.4 भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना आरबीआई द्वारा मई 2008 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली का उपयोग करते हुए भारत से नेपाल के लिए सीमापार विप्रेषण के लिए शुरू की गई थी। दोनों देशों के बीच व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने, साथ ही नेपाल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्ति-से-व्यक्ति प्रेषण की सुविधा देने के लिए प्रति लेन-देन की सीमा ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 2 लाख कर दी गई और प्रति प्रेषक एक वर्ष में 12 प्रेषण की सीमा को हटा दिया गया। अन्य देशों में ऐसी विप्रेषण सुविधाओं का संभाव्यता के आधार पर विस्तार करने के प्रयास किया जाएगा।

4.5.2 संरचनागत वित्तीय संदेश प्रेषण (एसएफएमएस), इंडियन फाइनेंसियल नेटवर्क (इन्फिनेट) फ्रेमवर्क के क्षेत्राधिकार में विस्तार करना

भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) केवल सदस्यों के लिए एक सीमित प्रयोक्ता समूह नेटवर्क है जिसमें आरबीआई, सीपीएस सदस्य बैंक और वित्तीय संस्थान सम्मिलित हैं। यह सभी आरटीजीएस सहभागियों को अपनी मेम्बर इंटरफेस एप्लिकेशन के माध्यम से वित्तीय संदेश-प्रेषण सेवाएं प्रदान करता है। इन्फिनेट के

संचार माध्यम से समर्थित, एसएफएमएस, केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों अर्थात एनईएफटी और आरटीजीएस, के लिए घरेलू वित्तीय संदेश-प्रेषण का भारतीय मानक है, जो भुगतान प्रणालियों के लिए आईएसओ 20022 मानक संदेश फोर्मेट अपनाता है। अन्य अधिकार-क्षेत्रो को इन्फिनेट की सदस्यता/प्रौद्योगिकी प्रदान करने की संभाव्यता का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा, यह पता लगाया जाएगा कि अन्य अधिकार-क्षेत्रो को घरेलू भुगतान प्रणाली मंच प्रदान करने के लिए एसएफएमएस के फ्रेमवर्क का विस्तार किस प्रकार किया जाए। इससे आशा है कि अन्य अधिकार-क्षेत्रो को सीधे भुगतान हेतु तेज, सुविधाजनक और किफायती चैनल प्रदान किया जा सकेगा।

4.5.3 सीमा पार कार्ड लेन-देन हेतु 2 कारक अधिप्रमाणन (2एफए)

अधिप्रमाणन का अतिरिक्त कारक (एएफए) घरेलू भुगतानों को सुरक्षा प्रदान करने और प्रयोक्ताओं को डिजिटल भुगतान में विश्वास दिलाने में एक प्रमुख कारक रहा है। इसी तरह का अनुभव देने और भारत में जारी कार्डों का उपयोग कर किए गए अंतरराष्ट्रीय लेन-देन की सुरक्षा बढ़ाने हेतु, सीमा-पार लेनदेन के लिए एएफए को लागू करने का पता लगाया जाएगा।

4.5.4 सतत सहसंबंधित निपटान (सीएलएस) में भारतीय रुपये को शामिल करने की मांग करना

सतत सहसंबंधित निपटान (सीएलएस), भुगतान बनाम भुगतान (पीवीपी) मोड में निपटान के साथ, विदेशी मुद्रा व्यापारों के निपटान से जुड़े हर्स्टैट जोखिम का समाधान करने के लिए एक पहल है। सीएलएस 18 मुद्राओं में पारस्परिक मुद्रा निपटान (क्रॉस-करेंसी सेटलमेंट) के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) अपने सदस्य बैंकों के लिए ट्रेड एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने वाले तृतीय पक्ष सदस्य की तरह सीएलएस में भाग लेता है। घरेलू मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हाल के दिनों में महत्व प्राप्त कर रहा है क्योंकि कई देश इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वित्तीय बाजार बुनियादी अवसंरचना (एफएमआई) पहले से ही उत्कृष्ट होने और विदेशी मुद्रा तथा वित्तीय बाजार के गहन होने के साथ सीएलएस बैंक के माध्यम से भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय निपटान हेतु स्थापित एक तंत्र, भारतीय रुपये की वैश्विक स्वीकृति बढ़ाने में मदद करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक सीएलएस में भारतीय रुपये को मुद्रा के रूप में शामिल कराने के लिए संवाद शुरू करेगा।

4.5.5 केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की घरेलू और सीमापार शुरूआत पर भुगतान प्रसंस्करण और निपटान में और दक्षता लाना

वैश्विक स्तर पर 86% केंद्रीय बैंकों द्वारा सीमापार लेन-देन के साथ-साथ आंतरिक लाभ के लिए सीबीडीसी की संभाव्यता की समीक्षा किए जाने से यह बहुत अधिक संकर्षण प्राप्त कर रहा है (बीआईएस सर्वेक्षण 2021)। सीमापार भुगतान बढ़ाने की अपनी प्राथमिकता वाली पहल के तहत सीबीडीसी जी20 के लिए भी रुचि का क्षेत्र है। रिजर्व बैंक भारत में सीबीडीसी की शुरुआत की दिशा में काम कर रहा है। सीबीडीसी का उपयोग करके घरेलू और सीमापार भुगतान प्रसंस्करण और निपटान में और दक्षता लाने के लिए विभिन्न उपयोग के मामलों का अध्ययन और शोध किया जाएगा।

परिवर्णी शब्द

2एफए	2 कारक अधिप्रमाणन
एपीबीएस	आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली
ए-ईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एएफए	अतिरिक्त कारक अधिप्रमाणन
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीआईएस	अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक
बीएनपीएल	पहले खरीदें बाद में भुगतान करें (बाय नाउ पे लेटर)
बीपीएसस	भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
सीएजीआर	कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
सीआईसी	संचलन में मुद्रा
सीएलएस	सतत सहसंबंधित निपटान
सीओएफटी	कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन
सीपीएफआइआर	केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री
सीपीएमआई	भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति
सीपीएस	केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली
डीपीआई	डिजिटल भुगतान सूचकांक
ई-बीएएटी	ई-बैंकिंग जागरुकता और प्रशिक्षण
एफएमआई	वित्तीय बाजार अवसंरचना
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
आईएफएससी	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड

आईएमपीएस	त्वरित भुगतान सेवा
इनफिनेट	भारतीय वित्तीय नेटवर्क
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईओटी	इन्टरनेट ऑफ थिंग्स
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलईआई	कानूनी इकाई पहचानकर्ता
एनएसीएच	राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनसीएमसी	राष्ट्रीय आम गतिशीलता कार्ड
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनएफएस	राष्ट्रीय वित्तीय स्विच
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
ओडीआर	ऑनलाइन विवाद समाधान
ओटीपी	एकबारगी पासवर्ड
पीए	भुगतान एग्रीगेटर
पीएसी	भुगतान सलाहकार परिषद
पीएफएमआई	वित्तीय बाजार की अवसंरचना हेतु सिद्धांत
पीजी	भुगतान गेट वे
पीआईडीएफ	भुगतान अवसंरचना विकास निधि
पीओएस	बिक्री केंद्र
पीपीआई	पूर्वदत्त भुगतान लिखत
पीएसओ	भुगतान प्रणाली परिचालक
पीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली
पीवीपी	भुगतान बनाम भुगतान
क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया

आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरई	विनियमित संस्था
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान
एसएफएमएस	संरचनागत वित्तीय संदेश-प्रेषण प्रणाली
टीएटी	प्रतिवर्तन समय
यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूएसएसडी	असंरचित पूरक सेवा डेटा
वीपीए	वर्च्युअल पेमेंट एड्रेस